समाहर्त्ता–सह – जिला निबंधक का कार्यालय, गोपालगंज ।

निबंधन विभाग,

मूल्यांकन सम्बंधी

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन), बिहार, पटना का पत्रांक– 5275/दिनांक 16.12.2015 के आलोक में बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली 1995 यथा संशोधित के नियम 6 के उप नियम (2) के खण्ड (च) के उप खण्ड (प) के प्रावधान के अनुसार गोपालगंज जिले के शहरी एवं पेरिफेरल क्षेत्रों की भूमि का श्रेणीवार न्यून मूल्यांकन सूची जो जिला मूल्यांकन समिति द्वारा नियमानुकूल तैयार की गई है। यह सूची जिला के सभी निबंधन कार्यालयों एवं जिले के वेबसाईट (http://gopalganj.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के अन्दर पर्याप्त साक्ष्य के साथ आपत्ति जिला अवर निबंधन कार्यालय, गोपालगंज में जमा की जा सकती है जिस पर जिला मूल्यांकन समिति अपना निर्णय करेगी।

06.01.16

जिला अवर निबंधक,
गोपालगंज।

06/01/16.

समाहर्त्ता
–सह–जिला निबंधक,
गोपालगंज।

समाहर्त्ता–सह – जिला निबंधक का कार्यालय गोपालगंज

ज्ञापांक– 23 दिनांक– 06.01.2016.

प्रतिलिपि :–

(1) निदेशक, सूचना एवं जन संम्पर्क विभाग, पटना को (CD) के साथ प्रेषित एवं अनुरोध है कि दो प्रचलित समाचार पत्र (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में शीघ्र प्रकाशित कराने की कारवाई की जाए।

(2) जिला सूचना एवं जन संम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

(3) निबंधन महानिरीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

06.01.16.

जिला अवर निबंधक,
गोपालगंज।

06/01/16.

समाहर्त्ता
–सह–जिला निबंधक,
गोपालगंज।